भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2051
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

पंजाब में एमएसएमई निवेश

2051. **श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पंजाब के सीमावर्ती जिलों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर के जिलों में निजी और एमएसएमई निवेश को आकर्षित करने के लिए एक विशेष पूंजी सब्सिडी योजना, कर मुक्ति और छूट शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या गुरदासपुर और बटाला जैसे जिलों में संभावित औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पंजाब राज्य सरकार के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार रोजगार को बढ़ावा देने और इन संवेदनशील क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक औद्योगिक पैकेज (न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि) पर विचार करेगी?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, पंजाब सहित देश भर में एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई क्षेत्र, प्राइवेट प्लेयर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा स्वयं निवेश किया जाता है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब स्कीम, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि सहित कई स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत सभी पात्र एमएसएमई के लिए लाभ उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) के हिस्से के रूप में दिनांक 28 अगस्त, 2024 को राजपुरा-पटियाला में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। पटियाला ज़िले में स्थित इस परियोजना का सक्रियण क्षेत्र 1,098 एकड़ है और इसकी कुल परियोजना लागत 1,367 करोड़ रुपये है। इक्विटी के रूप में 385 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 458 करोड़ रुपये के भारत सरकार के अंशदान (एनआईसीडीआईटी के माध्यम से) को अनुमोदित किया गया है।

*****